



ई० कन्हैया लाल सिंह, कार्यपालक अभियंता  
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर

Er. Kanhaiya Lal Singh, Executive Engineer  
Flood Control Division, Buxar

E-mail Id : fedbxb@gmail.com

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या-02/2025-28

पत्रांक...../बक्सर

दिनांक :-

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर के कार्यालय हेतु उपस्कर के क्रय/अधिष्ठापन के लिए मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

- कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर।
- कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक :- 25.02.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
- कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :- (1) कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर।  
(2) अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर।
- कोटेशन खोलने की स्थान, तिथि एवं समय :- कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर  
दिनांक :- 25.02.2026 को 03:30 बजे अपराह्न।

Sl. No.	Description of work	Unit	Rate (Including All Tax)	Total
1	2	3	4	5
1.	180 Ah Inverter Battery	01		
2.	1050 Volt Inverter	01		
3.	Big Steel Almirah (Godrej equivalents)	03		
4.	L-Shape Table (Big Table Size- 6' x 3' x 2' 6") (L Corner- 3')	01		
5.	Revolving Chair	01		
6.	Office Visitor Chair with Armrest	05		
7.	Air Condition 1.5 ton (Split) with Stabilizer	01		
8.	R.O with Water Cooler (10 Liter Capacity)	01		

शर्त :-

- कोटेशनदाताओं/आपूर्तिकर्ताओं को पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं वस्तु एवं सेवा कर का निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है।
- कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता मुहरबंद लिफाफा के उपर स्पष्ट अक्षर में कोटेशन दाता का नाम, पता, मोबाईल न0, एवं ईमेल अंकित करना अनिवार्य है।
- सशर्त कोटेशन दर मान्य नहीं होगा।
- कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता को राशि अंक एवं शब्द दोनो में लिखना अनिवार्य होगा।
- कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता का दर सभी कर सहित देना अनिवार्य है। अतिरिक्त कोई दर देय नहीं होगा।
- कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जाएगा। एक से अधिक समान न्यूनतम दर का कोटेशन दर प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।

7. वस्तु एवं सेवा कर (GST) वैद्य एवं अद्यतन होना अनिवार्य है। भुगतान के समय कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा जी0एस0टी0 अधिनियम के अधीन अद्यतन विवरणियों दाखिल करने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. सामग्रियों की आपूर्ति कार्यादेश निर्गत करने के सात (07) दिनों के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
9. सामग्री आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की अतिरिक्त दुलाई दर देय नहीं होगा।
10. कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये इलेक्ट्रीक उपकरण निर्धारित मानक/ISO/ISI प्रमाणित होना चाहिए तथा गारंटी/वारंटी अवधि में खराब हुई सामग्रियों का बदलना/मरम्मत कराने का दायित्व कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता का होगा।
11. कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता के विपत्र से सभी प्रकार का कटौती सरकारी नियमानुकूल किया जाएगा।
12. कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता को 100 प्रतिशत Specification match का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
13. कोटेशन को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
14. कोटेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए मोबाईल नं0 7463889357 एवं अधोहस्ताक्षरी से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/-


(ई0 कन्हैया लाल सिंह)  
कार्यपालक अभियंता।

पत्रांक 165 /बक्सर

दिनांक:-06-02-2026

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं वेबसाईट के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित।

  
(ई0 कन्हैया लाल सिंह)  
कार्यपालक अभियंता।

  
06/2/25